न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 18, गाजियाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-3072/2023
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 4735/2023
CNR N0 UPGZ010087472023

छोटू उर्फ तौसीफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
मु०अ०स० 458/2020
धारा-3/25 आयुध अधिनियम
थाना-ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

23.05.2023

प्रार्थी/अभियुक्त छोटू उर्फ तौसीफ पुत्र नसरूद्दीन की तरफ से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०स० 458/2020 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना ट्रोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 9 द्वारा दिनांक 17.05.2023 को बल न देने के कारण खारिज किया जा चुका है।

पैरोकार वसीम पुत्र इदरीश की तरफ से शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वह अभियुक्त का रिश्तेदार है इसलिये वह अभियुक्त के समस्त तथ्यों से परिचित है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त से जो बरामदगी दिखायी गयी है वह झूठी व फर्जी है। अभियुक्त नामजद नहीं है। घटना के बावत जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.08.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण के केस एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर आक्षेप है कि फर्द बरामदगी दिनांक 06.08.2020 व गिरफ्तार अभियुक्त छोटू उर्फ तौसीफ के एक तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे प्रकरण में फर्जी तौर पर नामित किया गया है तथा उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद होना गलत बताया गया है। अभियुक्त के

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त की जमानत स्वीकार करने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुनने व अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी दिनांक 06.08.2020 व गिरफ्तार अभियुक्त छोटू उर्फ तौसीफ के एक तमंचा 315 बोर नाजायज व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 08.08.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए इस न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत आवेदन पत्र स्वीकार होने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त छोटू उर्फ तौसीफ पुत्र नसरूद्दीन का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा अकंन 30,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं इस आशय की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि दौरान विवेचना एवं परीक्षण अभियुक्त द्वारा साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी, न ही साक्षियों को डराया धमकाया जायेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा यदि विवेचना अथवा परीक्षण को अभियुक्त द्वारा अन्यथा प्रभावित किया गया तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दें, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(अरविन्द कुमार यादव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं० 18, गाजियाबाद।

दिनांकः 23.05.2023